

दिनांक: 28-01-24 को देहरादून पुलिस ने चोरी की 04 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 05 शातिर सदस्यों किया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से लाखों ₹ की ज्वैलरी तथा नगदी बरामद।

थाना डोईवाला व थाना रानीपोखरी क्षेत्रान्तर्गत चोरी की 04 घटनाओं में दोनों थानों पर निम्नवत् अभियोग पंजीकृत किये गये।

(1)- दिनांक 01.10.23 को वादी श्री हरीश मोहन डबराल निवासी 45/तरली जौली सैन चौकी के पास, डोईवाला देहरादून द्वारा दिनांक 29/09/23 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर अलमारी के लॉकर से चाँदी/सोने के आभूषण और नकदी आदि चोरी किये जाने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0-312/2023 धारा-380/457 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

(2)- दिनांक 25.01.2024 को वादी श्री प्रदीप कुमार बड़थवाल पुत्र श्री उमानन्द बड़थवाल निवासी निकट गुरुराम स्कूल भानियावाला डोईवाला द्वारा दिनांक 24/01/2024 को वादी के घर का अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर घर में रखे 70 हजार रुपये नगद व सोने/चाँदी के आभूषण तथा 01 मोबाइल फोन चोरी किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0-24/2024 धारा- 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

(3)- दिनांक 18.11.23 को थाना रानीपोखरी पर वादी श्री सुमन प्रकाश निवासी घेला डाण्डी रानीपोखरी द्वारा दिनांक 17.11.23 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर से नगदी व सोने/चाँदी के जेवरात आदि चोरी किये जाने के सम्बन्ध में दिये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रानीपोखरी पर मु0अ0सं0 58/2023 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

(4)- दिनांक 04.01.23 को वादी श्री दिनेश कुमार निवासी सारंधरवाला भोगपुर रानीपोखरी द्वारा प्रा0पत्र दिया कि दिनांक 31-12-2023 को वादी के घर पर अज्ञात चोरों द्वारा ज्वैलरी व 20,000/- रुपये नगद व अन्य सामान चोरी कर लिये है। जिसके आधार पर थाना रानीपोखरी पर मु0अ0सं0 02/2024 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त चोरी की सभी घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा कोतवाली डोईवाला तथा थाना रानीपोखरी की संयुक्त पुलिस टीमों का गठन कर उन्हें कड़े दिशा-निर्देश निर्गत किये गये। गठित पुलिस टीम द्वारा सर्वप्रथम इस प्रकार के अभियोगों में पूर्व में सलिस रहे तथा जेल गये अभियुक्तों की वर्तमान स्थिती हेतु सत्यापन अभियान चलाया गया, साथ ही घटना स्थलों का मुआयना कर उनके आस-पास लगे लगभग 500 से 600 सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का बारीकी से निरीक्षण किया, इसके साथ ही मैनुअल पुलिसिंग की सहायता से सुरागरसी-पतारसी करते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। इसके अतिरिक्त सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे निरन्तर प्रयासों के परिणाम स्वरूप दिनांक: 28-01-24 को जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के निकट भूमिया मन्दिर के पास से मुखबिर खास की सूचना के आधार पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सघन चैकिंग अभियान के दौरान उक्त चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 05 अभियुक्तों 01- रोहित उर्फ पिलीया 02- अजय, 03- नौशाद नाथ, 4- रचित नाथ, 05- अल बख्श को चोरी किये गये आभूषणों व नगदी के साथ गिरफ्तार किया। विवेचक द्वारा अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों को समय से मां0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ करने अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि वे सभी सपेरा जाति के हैं, जिसमें 02 अभियुक्त पथरी, हरिद्वार एवं 03 अभियुक्त सपेरा बस्ती भानियावाला के निवासी हैं। उक्त अभियोग में से स्थानीय निवासी सपेरे दिन में जोगी व माँगने वालों का वेश धारण कर थाना रानीपोखरी/डोईवाला क्षेत्र व आस-पास के स्थानों में घूम-घूमकर रैकी करते हैं, स्थानीय होने के कारण उन पर कोई शक भी नहीं करता है। उक्त अभियोग घूम-घूमकर सुनसान इलाकों के घरों एवं बन्द घरों को चिन्हित कर रात्रि के समय मौका देखकर चिन्हित घरों में ताला तोड़कर/सेध लगाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अभियुक्तगणों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- रोहित उर्फ पिलीया पुत्र जोगेन्द्र नाथ उर्फ जोधानाथ निवासी सपेरा बस्ती भानियावाला डोईवाला देहरादून उम्र 20 वर्ष

2. अजय पुत्र बग्गी उर्फ बन्नी निवासी हाल निवासी गोसीपुर सपेरा बस्ती पथरी जनपद हरिद्वार मूल निवासी चांस राम मंगल कालोनी देह बस्ती करनाल थाना सिटी करनाल हरियाणा उम्र 24 वर्ष
3. नौशाद नाथ पुत्र गोपीनाथ निवासी गोसीपुर सपेरा बस्ती थाना पथरी जनपद हरिद्वार उम्र 23 वर्ष,
4. रचित नाथ पुत्र मठिनाथ निवासी सपेरा बस्ती भानियावाला थाना डोईवाला उम्र 19 वर्ष
5. अल बख्श नाथ उर्फ डडी पुत्र केवल नाथ निवासी सपेरा बस्ती भानियावाला डोईवाला जनपद देहरादून उम्र 19 वर्ष

बरामदगी: 1-नकली तमंचा- 1 अदद, 2- सफेद धातु के कडे: 1 जोड़ी, 3-सफेद धातु के बिछुये-3 जोड़ी, 4-पीली धातु की नाक की लोंग- 3 अदद, 5- सफेद धातु की पाजेब : 01 जोड़ी, 6-सफेद धातु के सिक्के- 4 अदद, 7-पीली धातु का मंगल सूत्र -1 अदद, 8-लाल मोती की माला सहित-1 अदद, 9-पीली धातु के कान के टॉप्स-1 जोड़ी, 10-पीली धातु की लैडिज अंगूठी-1अदद, 11-पीली धातु की गले की चैन-1अदद, 12- पीली धातु पैण्डल - 1 अदद, 13-नगदी - 8540 रूपये (पाँचो अभिगण से बरामद चोरी के माल की अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रू0 है।)

पुलिस टीम कोतवाली डोईवाला:- 1- नि0 होशियार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डोईवाला, 2- उ0नि0 सुमित चौधरी-चौकी प्रभारी डोईवाला, 3- उ0नि0(प्रशि0) हर्षमोहन, 4- कानि0 सुबोध नेगी, 5- कानि0 सचिन राणा, 6- कानि0 हँसराज, 7- कानि0 अखिलेश कुमार, 8- कानि0 दिनेश कुमार

पुलिस टीम थाना रानीपोखरी:- 1-उ0नि0 सन्दीप कुमार- थानाध्यक्ष रानीपोखरी, 2-उ0नि0 विक्रम सिंह नेगी, 3-हे0का0 देवेन्द्र नेगी, 4-हे0का0 दिनेश दिलवाल, 5-हे0का0 धीरेन्द्र यादव, 6-कानि0 धर्मेन्द्र नेगी, 7-कानि0 विजय राणा

